कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक : 737/14–1 रामपुर, दिनांक : 24 ~~मार्च~~ सितम्बर 2018

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र उ0प्र0,
मुरादाबाद।

विषय :– जनपद रामपुर की तहसील सदर के ग्राम रायपुर की खसरा सं0 18/1 पर रामपुर–शाहबाद मार्ग (एम0डी0आर0–53) किमी0 चैनेज 5.383 की बांयी पटरी पर पैट्रोल/डीजल पम्प (इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.108068 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के अनुमति देने के सम्बन्ध में।

संदर्भ – **Online Submission File No. FP/UP/Others/32286/2018 dated 07-03-2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद रामपुर की तहसील सदर के ग्राम रायपुर की खसरा सं0 18/1 पर रामपुर–शाहबाद मार्ग (एम0डी0आर0–53) किमी0 चैनेज 5.383 की बांयी पटरी पर पैट्रोल/डीजल पम्प (इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.108068 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा – 2 के अन्तर्गत 0.108068 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के भूमि हस्तांरण प्रस्ताव 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहें है। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन एवं वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. वरिष्ठ सेल्स प्रबन्धक (रिटेल) रामपुर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, रामपुर।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

Scanned by CamScanner